संख्या-87/2021/2358ई-2/तेरह-2021-1520993

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, **प्रयागराज।**

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 17 दिसम्बर**,**2021**

विषय- मे. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी यूनिट - मिलकनारायणपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर में 160 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन /शीरे तथा केन जूस/सीरप पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी62/दो-प्रा.डी.-235, दिनांक 20-10-2021 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत संख्या-2406ई-2/तेरह-2021-1520993, दिनांक 09-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 20-10-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी यूनिट-मिलक नारायणपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर द्वारा 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज, शीरे तथा केन जूस/सीरप पर आधारित डुअल मोड की औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/ अल्कोहल निर्माण किये जाने हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10-09-2021 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।